कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

क्रमांकः–प–11(28)आरपीए/प्रशिक्षण/सीसीपीडब्ल्यूसी/2021/856–59 दिनांकः– 04-02-2022

22

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

विषयः–CCPWC Scheme के तहत "03days Cyber Crime Awareness Course for Judicial Officers and Public Prosecutor" में न्यायिक अधिकारियों, लोक अभियोजकों एवं 06 आई.ओ. (पुलिस निरीक्षक से उप अधीक्षक पुलिस) के मनोनयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है, कि राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में माह **जनवरी–2022** में CCPWC योजना के अन्तर्गत 03days Cyber Crime Awareness Course for Judicial Officers and Public Prosecutor कोर्स आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें 12 न्यायिक अधिकारी, 12 लोक अभियोजक एवं 06 अनुसंधान अधिकारी (पुलिस निरीक्षक से उच्च स्तर) समेत कुल 30 प्रतिभागी भाग लेंगे।

क्र.सं.	कोर्स का नाम	प्रशिक्षण अवधि	रेंक	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	03 days Training Programme of Cyber Crime and Cyber Law Awareness Course for Judicial Officers and Public Prosecutors (CCPWC Scheme)	26.02.2022 से 28.02.2022	Judicial Officers, Public Prosecutors and I.O. (C.I. & Above)	12 Judicial Officers, 12 Public Prosecutors 06 Investigation Officer (C.I. & Above)

इस हेतु नव–निर्मित सीसीपीडब्ल्यूसी लैब में 30 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिये जाने की क्षमता है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स में सम्मिलित होने हेतु उपरोक्तानुसार **पोक्सो न्यायालयों एवं महिला उत्पीडन/महिलाओं के विरूद्ध अपराध व साइबर अपराधों से सम्बंधित न्यायालयों में कार्यरत 12 न्यायिक अधिकारी व 12 लोक अभियोजक एवं 06 आई.ओ. (पुलिस निरीक्षक एवं वरिष्ठ स्तर के)** कुल 30 प्रतिभागियों का मनोनयन **दिनांक 26.02.2022 से 28.02.2022** अथवा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन की दृष्टि से अन्य किसी सुविधाजनक फरवरी माह की तिथियों में करवाकर अवगत कराने की कृपा करावें। इस सम्बंध में न्यायिक अधिकारियों के मनोनयन हेतु रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, लोक अभियोजकों हेतु प्रमुख विधि सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को निवेदन किया जाना तथा अनुसंधान अधिकारियों के मनोनयन हेतु रेंज कार्यालयों को लिखा जाना अपेक्षित है। प्रत्येक कोर्स में **कम से कम 10 प्रतिशत (न्यूनतम 03) महिला न्यायिक अधिकारियों/लोक अभियोजकों/अनुसंधान अधिकारियों** का होना जरूरी है। पुलिस अधिकारियों के मनोनयन में उन पुलिस अधिकारियों का मनोनयन करना उचित होगा जो **पोक्सो एक्ट एवं महिला उत्पीड़न से संबंधिन्त प्रकरणों** का अनुसंधान कर रहे हों। प्रत्येक कोर्स में प्रतिभागियों के मनोनयन के साथ एक रिजर्व प्रतिभागी का नामांकन करने हेतु भी निवेदन किया जाना उचित होगा। इस कोर्स में मनोनीत किये जाने वाले अधिकारियों के नामों के साथ उनकी एसएसओ आईडी (SSO ID), Email ID व Whatsapp मोबाईल नम्बर अंकित कर भिजवाने हेतु भी निवेदन किया जावें। अपनी उपस्थिति कोर्स के आरम्भ होने की दिनांक से पूर्व सांयकाल तक आवश्यक रूप से राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रस्तुत करेंगे। सभी अधिकारी अपने साथ मास्क लेकर आयेंगे। उक्त कोर्स में राजस्थान पुलिस अकादमी में निवास करना अनिवार्य होगा।

सभी मनोनीत प्रतिभागियों को निर्देशित करें कि कोर्स पूर्व जिन अधिकारियों के कोविड वैक्सीन के दो डोज लगे हुए हो वे कोविड प्रमाण–पत्र के साथ अपनी उपस्थिति देंगे एवं जिन अधिकारियों के एक कोविड वैक्सीन अथवा कोई भी वैक्सीन नही लगी हो वे कोविड की 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर अकादमी में उपस्थिति देंगे। सभी मनोनीत अधिकारियों व कर्मियों के नाम एवं पदनाम व मोबाइल नम्बर आदि सूचना इस कार्यालय के ईमेल splcoinhouse.rpa@rajasthan.gov.in, ccpwcrajasthan@gmail.com पर भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।